न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, गोण्डा।

सरकार बनाम करन मिश्रा आदि

दिनांक- **21-07-2022**

प्रार्थी /अभियुक्त करन मिश्रा की ओर से एन०सी०आर० सं० 15/2019, अन्तर्गत धारा 323, 504 IPC, थाना परसपुर, जिला गोण्डा के अभियोग में आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण मय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

अभियोजन अधिकारी के द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त ने आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया, उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त की पहचान उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप जमानतीय प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामलें में गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत तद्नुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त करन मिश्रा का उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी /अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु०- बीस हजार रूपये के व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं इसी समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक **21-07-2022**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
गोण्डा।